उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–102–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–4–MPI/87–टी0सी0–1, दिनांक 29.01.2019

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय से इतर) एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों के संवर्गीय ढ़ाचें में उल्लिखित पद कार्यालय सहायक श्रेणी–तृतीय तथा कार्यालय सहायक श्रेणी–द्वितीय को तत्काल प्रभाव से संविलीन किया जाता है एवं निम्न तालिका के स्तम्भ–02 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम के स्थान पर स्तम्भ–03 में उल्लिखित पदनाम से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्र0सं0 (1)	वर्तमान पदनाम (2)	परिवर्तित पदनाम (3)
1	कार्यालय सहायक श्रेणी–तृतीय	कार्यकारी सहायक
2	कार्यालय सहायक श्रेणी–द्वितीय	
3	कार्यालय सहायक श्रेणी–प्रथम	वरिष्ठ कार्यकारी सहायक
4	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–द्वितीय	सहायक कार्यकारी अधिकारी
5	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–प्रथम	कार्यकारी अधिकारी
6	कार्यालय अधीक्षक विशेष श्रेणी	प्रशासनिक अधिकारी
7	प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
8	आशुलिपिक	शिविर सहायक

2– उपरोक्त पदनाम परिवर्तन के उपरान्त कार्यालय सहायक श्रेणी–तृतीय से कार्यालय सहायक श्रेणी–द्वितीय तथा कार्यालय सहायक श्रेणी–द्वितीय से कार्यालय सहायक श्रेणी–प्रथम पर पदोन्नति हेतु पूर्व निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी सेवाओं को जोड़कर कार्यकारी सहायक से वरिष्ठ कार्यकारी सहायक पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा आगणित की जायेगी।

3– पदनाम परिवर्तन के आधार पर परिवर्तित पदनाम के अनुसार वेतनमान में किसी प्रकार की वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।

4– पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य संवर्ग अथवा शासन से किसी प्रकार की समतुल्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

5– उपरोक्त के फलस्वरूप परिवर्तित व्यवस्था का सम्बन्धित सेवा विनियमावली में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

निदेशक मण्डल,उ0प्र0पा0का0लि0

सं0–102–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
4. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
5. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
6. मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

क्रमशः.....2

7. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियंता (स्तर–1 एवं स्तर–2), उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उपहाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
10. महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / (औ0सं0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियंता, उपहाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
12. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
15. संयुक्त सचिव (काविनी एवं विनियम) को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप सम्बन्धित सेवा विनियमावली में तद्नुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें।
16. समस्त संयुक्त सचिव / उप सचिव / अनु सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
17. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
18. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक के निर्णय के मद संख्या–143(01) एवं 143(02) के अनुपालन में ।
19. अधिशासी अभियंता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

आर.के.गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)

संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्रशि0)